

पत्रांक : 5/स1--06/2009...../

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

मीना ठाकुर,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

रॉची, दिनांक :

विषय:- राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1819 दिनांक-27.09.2011 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर के पत्रांक-ERC/7-93.6(ii).14/2009/15784 दिनांक- 23.3.2009 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए निम्न शर्तों के साथ वित्त रहित संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है :-

- (i) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करायेगा कि NCTE द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय निश्चित रूप में पूरा करे।
- (ii) विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह संबंधन से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि महाविद्यालय/संस्थान NCTE के द्वारा निर्धारित Norms बथा- धूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करता है।
- (iii) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०ई०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए।
- (iv) शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
- (v) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।
- (vi) महाविद्यालय भवन में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा साथ ही जिला अग्निशामक कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा।
- (vii) जिस भवन में प्रशिक्षण कार्य होगा यह प्रशिक्षण कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा। यदि यह पाया गया कि बी०एड० प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है, तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

४१-

(मीना ठाकुर)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 5/स1-06/2009

49

रॉची, दिनांक : 19/01/2012

प्रतिलिपि :- निदेशक, उच्च शिक्षा/ प्राचार्य, राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मीना ठाकुर)

सरकार के उप सचिव।

18.1.12

४१

पत्रांक : 5/स1-06/2009...../

झरखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

मीना ठाकुर,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

रॉची, दिनांक : 19/01/2012

विषय:- राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1819 दिनांक-27.09.2011 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर के पत्रांक-ERC/7-93.6(ii).14/2009/15784 दिनांक- 23.3.2009 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजीव गाँधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के लिए निम्न शर्तों के साथ वित्त राहित संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है :-

- (i) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करायेगा कि NCTE द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय निश्चित रूप में पूरा करें।
- (ii) विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह संबंधन से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि महाविद्यालय/संस्थान NCTE के द्वारा निर्धारित Norms यथा- भूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करता है।
- (iii) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०ई०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए।
- (iv) शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
- (v) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।
- (vi) महाविद्यालय भवन में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा साथ ही जिला अग्निशामक कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेगा।
- (vii) जिस भवन में प्रशिक्षण कार्य होगा यह प्रशिक्षण कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा। यदि यह पाया गया कि बी०एड० प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है, तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन,

18.1.12

(मीना ठाकुर)

सरकार के उप सचिव।

10

पत्रांक : 5 / स 1 - 06/2009/49

झारखण्ड सरकार

मनव संसाधन विकास विभाग

उच्च शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

मीना ठाकुर,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

कुलसचिव,

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग ।

राँची, दिनांक : 19/01/2012

विषय : राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 तीन सत्रों के लिए संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1819 दिनांक 27.09.2011 एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर के पत्रांक - ERC/7-93.6(ii).14/2009/15784 दिनांक 23.03.2009 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को शैक्षणिक सत्र 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 तीन सत्रों के लिए निम्न शर्तों के साथ वित्त रहित स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है :-

- (i) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करायेगा कि NCTE द्वारा निर्धारित 200 दिनों का शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी सम्मिलित है, का पालन महाविद्यालय से सुनिश्चित करायेगा।
- (ii) विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि वह संबंधन से संबंधित अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि महाविद्यालय/संस्थान NCTE के द्वारा निर्धारित Norms यथा- भूमि, भवन एवं अन्य मानकों को पूरा करता है।
- (iii) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०इ०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए।
- (iv) शिक्षकों की नियुक्ति विहित प्रक्रिया एवं सभी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप हुआ हो।
- (v) महाविद्यालय संबंधन दीर्घीकरण की अनुमति पाये बिना अगले सत्र हेतु छात्रों का नामांकन नहीं करेगा।
- (vi) महाविद्यालय भवन में अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा साथ ही जिला अग्निशामक कार्यालय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (vii) जिस भवन में प्रशिक्षण कार्य होगा यह प्रशिक्षण कार्य हेतु ही उपयोग में लाया जायेगा। यदि यह पाया गया कि बी०ए० प्रशिक्षण के अलावे कोई अन्य कार्यक्रम होता है, तो संबंधन आदेश रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के उप सचिव

विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

ज्ञापांक : विभावि/स्था०/१९८५/१२

दिनांक : १६.०६.२०१२

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य, राजीव गांधी मेमोरियल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, धनबाद को सूचनार्थ इस आग्रह के साथ कि संबंधन पत्र में दर्शाये शर्त का अनुपालन कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने की कष्ट करें।
2. उप कुल सचिव/सहायक कुलसचिव, विभावि, हजारीबाग।
3. परीक्षा नियंत्रक, विभावि, हजारीबाग।
4. स्थापना प्रभारी, विभावि, हजारीबाग।
5. निजी सहायक - कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्तीय सलाहकार/कुलसचिव, विभावि, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं रिकार्ड रखने हेतु।

E.Madhukar
(इनाब नबी सिद्धिकी) 16/06/12

कुलसचिव

16/6/12